अध्याय 15

योजना और गैर-योजना कार्यक्रम

15.1 नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए श्रम मंत्रालय का अनुमोदित परिव्यय 792.12 करोड़ रुपए था जिसमें से 516.56 करोड़ रुपए का वास्तविक खर्च है। 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के लिए मंत्रालय का स्वीकृत सारभूत परिव्यय 1500 करोड़ रुपए है जो नवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 792.12 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत अधिक है । वार्षिक योजना 2002-2003, 2003-04, 2004-2005 और 2005-2006 के लिए परिव्यय ✓ मश:170 करोड़ रुपए, 183 करोड़ रुपये तथा 232.48 करोड़ रुपये (कुल 755.48 करोड़ रुपये) है । वर्ष 2006-07 के लिए 1050.00 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है । योजनागत प्रावधान तथा व्यय ∧ ा ब्यौरा सार⁄ी 16.1 में दर्शाया गया है ।

15.2 श्रम मंत्रालय के योजनागत बजट का मुख्य हिस्सा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एवं रोजगार सेवा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित है, खानों एवं कारखानों में कार्य दशाएं सुधारना, श्रमिक शिक्षा, अनुसंधान और सांख्यिकी, औद्योगिक संबंध, राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास अन्य महत्वपूर्ण योजनागत स्कीमें हैं।

15.3 वर्ष 2005-2006 में महिला घटक योजना के तहत 5.30 करोड़ रुपए का प्रावधान है। डी.जी.ई. एंड टी. का महिला प्रशिक्षण प्रकोष्ठ तथा महिला श्रमिक प्रकोष्ठ सिर्फ महिलाओं से संबद्ध योजनाओं के लिए है। महिलाओं से संबंधित कुल 7 परियोजनाएं हैं जिसमें से 5 केवल महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु हैं ।

15.4 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लाभ हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय में कुछ योजना स्कीमें हैं । इनमें अनुसूचित जनजाति के लिए जनजातीय उप-योजना (टी एस पी) एवं अनुसूचित जाति हेतु विशेष अंगभूत योजना (एस एस पी) हैं । वर्ष 2005-2006 के लिए टी.एस.पी. तथा एस.सी.पी. जहां अनुमेय है, 6.28 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गयी थी ।

15.5 सरकार के निर्देशानुसार, बजट आबंटन का 10 प्रतिशत उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम की विशिष्ट परियोजनाओं/स्कीमों के लिए रखा जाता है । अतः, श्रम मंत्रालय ने इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2005-06 के दौरान 23.25 करोड़ रुपये की निधि चिह्नित/आबंटित की है।

15.6 श्रम मंत्रालय श्रम संबंधी अनुमोदित मुद्दों पर अनुसंधान करने हेतु अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान देता है । वर्ष 2005-2006 के लिए 25 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है । इस संबंध में अब तक श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन और रोजगार सेवा एवं प्रशिक्षण आदि विषयों पर कई शोध पूरे किए गए हैं । कई अन्य अध्ययन भी किए जा रहे हैं तथा कई पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

15.7 कार्यकारी समूहों की सिफारिशों और योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए दसवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र के आधार पर, मौजूदा स्कीमों को चालू रखने की जरूरत का मूल्यांकन किया गया है और श्रम मंत्रालय द्वारा नए कार्यक्रम/स्कीमें बनाई गई हैं। परिणामस्वरूप, 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनेक नए कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं । इनमें (i) अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए कौशल का परीक्षण और प्रमाणीकरण ; (ii) खान सुरक्षा महानिदेशालय में कानूनी जांचों के लिए सूचना डेटाबेस, सर्वेक्षण क्षमताओं का आधुनिकीकरण और तंत्र का सुदृढ़ीकरण; (iii) प्राथमिकता वाली जोखिमकारी रासायनिक प्रक्रियाओं में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा प्रवर्तन एजेंसियों में सक्षमता निर्माण और असंगठित क्षेत्र में प्रवर्तन रणनीति मार्गदर्शन का विकास ; (iv) केन्द्रीय श्रम सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण विंग का सुधार और

सुदृढ़ीकरण ; (v) जोखिमकारी उद्योग से बाल श्रम उन्मूलन के लिए भारत-अमेरिका बाल श्रम परियोजना ।

15.8 वर्ष 2006-07 के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए 1,050 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्ताव (430.09 करोड़ रुपये के सिविल कार्य घटक सहित) तैयार किया गया है। इसमें केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 835.45 करोड़ रुपए और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 214.55 करोड़ रुपये है। 2006-07 के दौरान प्रस्तावित उच्चतर परिव्यय मूलतः डी जी ई एंड टी द्वारा प्रस्तावित नई केंद्र प्रायोजित योजना अर्थात् 100 सरकारी आई.टी.आई. में प्रशिक्षण अवसंरचना का उन्नयन यथा आई टी आई को उत्कृष्टता केन्द्रों में स्तरोन्नत करना है। जिसमें 2006-2007 के दौरान योजना आबंटन को 2005-2006 में आबंटित 20.00 करोड़ रुपये से काफी बढ़ाकर 75.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006-2007 के दौरान प्रस्तावित दूसरी नयी केन्द्र प्रायोजित योजना अर्थात् केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गयी व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं में सुधार और बेहतरी के लिए बाह्य-सहाय्यित परियोजना के लिए 5.00 लाख रुपये के सांकेतिक प्रावधान की भी मांग की गयी है । इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006-2007 के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण जैसे क्षेत्रों में कुछ नई पहलें अर्थात् सरकारी-गैर-सरकारी सहभागिता के माध्यम से कौशल विकास - एक केन्द्र प्रायोजित योजना ; बीड़ी कामगारों के लिए मकान निर्माण योजना तथा केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना प्रस्तावित है जिनका प्रस्तावित परिव्यय क्रमशः 100.00 करोड़ रुपये, 400.00 करोड़ रुपये तथा 150.00 करोड़ रुपये है ।

15.9 योजनागत कार्यक्रमों के अलावा, मंत्रालय के पास रोजगार और प्रशिक्षण, अनुकूल औद्योगिक संबंधों के सुनिश्चय, कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा, संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान और सांख्यिकी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के साथ-साथ अन्य सचिवालय सामाजिक सेवाओं और योजनाओं जैसे विभिन्न क्रियाकलापों वाले गैर-योजना कार्यक्रम हैं। 2004-05 के दौरान 878.82 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में गैर-योजना व्यय 944.17 करोड़ रुपए रहा जिसे 2005-06 (बजट अनुमान) के लिए बढ़ाकर 1091.57 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गैर-योजना बजट अनुमान तथा व्यय का ब्यौरा सारणी 15.2 मे दिया गया है।